उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्याः 07/XXVII(7)50(16)/2014
देहरादून : दिनांकः 14, जनवरी, 2016

संकल्प

विषयः– सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतन भत्तों के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ देने हेतु वेतन समिति का गठन।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी संस्तुतियों के कम में राज्य सरकार ने अपने अधीनस्थ कार्मिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण तथा नीचे दिये गये बिन्दुओं पर युक्तियुक्त संस्तुति करने के लिए श्री इन्दु कुमार पाण्डे (आई0ए0एस0), सेवानिवृत्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वेतन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। वेतन समिति में निम्नानुसार सदस्य होगें:–

1– श्री शरद चन्द्र पाण्डे, (सेवानिवृत्त निदेशक कोषागार) – सदस्य।

2– श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, (सेवानिवृत्त निदेशक कोषागार) – सदस्य।

3– डा0 एम0सी0 जोशी, सचिव वित्त – सदस्य सचिव।

2– समिति के विचारार्थ निम्न बिन्दु होंगे:–

1. निम्नलिखित कर्मचारी वर्गों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार में लागू वेतनमानों के आधार पर संस्तुति–

(i) राजकीय कर्मचारी/अधिकारी जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सदस्य सम्मिलित नहीं हैं।

(ii) सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारी।

(iii) संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों (जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों सहित) के कर्मचारी/अधिकारी वर्ग।

(iv) सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी तथा अधिकारी।

2. ऐसे शिक्षक जिनके वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों पर निर्धारित नहीं होते हैं, के सम्बन्ध में संस्तुतियां।
3. जूनियर डॉक्टर एवं कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सम्बन्ध में संस्तुतियां।
4. समयमान वेतनमान/चयन वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन (ACP) का पुनार्वलोकन और तत्सम्बन्धी संस्तुतियां।
5. कार्मिकों को प्राप्त/अनुमन्य विभिन्न प्रकार के भत्ते एवं सुविधायें।
6. राज्य कर्मचारियों का पेंशन ढांचा तथा अन्य पेंशनरी लाभ।
7. राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा कार्मिकों की क्षमता वृद्धि आदि पर विशेषज्ञों के सुझावों के आलोक में समिति संस्तुति करेगी।
8. समिति द्वारा की जानी वाली संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार पर पड़ने वाले व्ययभार का आंकलन।
9. उपर्युक्त संस्तुतियॉ करते समय कार्मिकों के वेतन विसंगति के प्रकरणों का परीक्षण एवं सातवें वेतन आयोग के परिप्रेक्ष्य में उन पर सुझाव।
10. ऐसे विशिष्ट/अन्य मामले जो शासन द्वारा समय–समय पर संदर्भित किये जायें।

3– समिति उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्तुति करते समय राज्य की आर्थिक दशा, संसाधनों एवं वित्तीय क्षमता तथा विकास एवं उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निहित प्रतिबद्धताओं के अतिरिक्त राज्य के विकासात्मक एवं काल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें, को भी ध्यान में रखेगी। समिति सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी सरकारी प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में संस्तुति करते समय उनकी वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखेगी।

4– समिति का मुख्यालय उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून में होगा और विचार–विमर्श के लिये वह समय–समय पर आवश्यकतानुसार बैठक करेगी समिति ऐसी सूचना मांग सकती है और ऐसे साक्ष्य भी ले सकती है जिसे वह आवश्यक समझे। इसके अतिरिक्त समिति किसी बिन्दु पर किसी सक्षम अधिकारी/विषय विशेषज्ञ को विचार–विमर्श हेतु आमंत्रित करने के लिए अधिकृत होगी।

5– समिति प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतनमान एवं पेंशन के विषय में पूर्व से स्थापित समतुल्यता के आधार पर तथा सन्दर्भित अन्य विषयों पर अपना प्रतिवेदन शासन को 12 माह के भीतर शासन को प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
सचिव।

1. यह आदेश दिया कि संकल्प को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट में विज्ञापित किया जाय।
2. आदेश दिया कि संकल्प की प्रति सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जायें।
3. आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को भेजी जाय।
4. आदेश दिया कि संकल्प की प्रति निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदें, नगर पंचायतें, विकास प्राधिकरणों, जल संस्थानों, जिला पंचायतें को भी भेजी जायें।
5. आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों को भी भेजी जायें।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
सचिव।